FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

ान विक्रम सिंह उर्फ हमीरसिंह बनाम भूमिधारी

मुकदमा प्रा० पत्र U/S 136 R.L.R.Act मुकदमा नं० 49/20 सन् 2020

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	02/12/2020 वकील प्रार्थी श्री राकेश जांगिड़ ने हाजिर अदालत होकर प्रा० पत्र U/S 136 R.L.R.Act पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी की नकली जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 18/12/2020 को पेश हो। 12/02/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० प्रकरण में भूमिधारी से प्राप्त जवाब को अभिलेख पर लिया जाता है। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष प्रकरण में निर्णय पारित फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, दस्तावेजात एवं जवाब भूमिधारी का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थी के पहचान के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, किसान कार्ड, बैंक पास बुक आदि में प्रार्थी का नाम "विक्रम सिंह उर्फ हमीरसिंह पुत्र नारायण सिंह" दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत सुजाना ने भी प्रार्थी का	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की मैं जारी

सही एवं वास्तविक नाम "विक्रम सिंह उर्फ हमीर सिंह पुत्र नारायण सिंह" होना अवगत करवाया है। प्रार्थी ने इस बाबत सह-काश्तकारों के शपथ-पत्र भी पेश किये हैं। साथ ही भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला ने भी अपने जवाब में प्रार्थी द्वारा वांछित दुरुस्ती किये जाने की अभिशंसा की है।

अतः उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-

निर्णय

तत श्राम हमीरपुरा (कलां) पटवार हल्का सुजाना तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० 62, 64, 66, 67, 69 रकबा 3.38 है० में हिस्सा 1/7 तथा ख० नं० 603 ता 619 रकबा 12.16 है० में हिस्सा 1/56 में प्रार्थी का नाम "विक्रम पुत्र नारायण" के स्थान पर "विक्रम सिंह उर्फ हमीरसिंह पुत्र नारायण सिंह" दुरुस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली दैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 12/02/2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालय मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

Scanned with CamScanner